हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद पत्र रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जावे। ावली दिनांक 07.09.2021 को पेश हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

07/09/21 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उप० प्रतिवादी बावजूद सम्यक तामिल अनु०। अत: प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादीगण की ओर से बतौर साक्ष्य सहखातेदार राजेश पुत्र मदन का शपथ पत्र पेश किया। बहस वकील वादी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 17-09-2021 को पेश हो।

17.09.21 पत्रावली पेश हुयी। समयाभाव के कारण निर्णय नही लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश दि. 20-09-2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

है। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादीगण के पिता का सही नाम गोविन्दराम है। परन्तु वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादीगण के पिता का नाम चिरंजीलाल दर्ज हो गया। जबकि वादीगण के समस्त दस्तावेजात में वादीगण के पिता का सही नाम गोविन्दराम दर्ज है। अतः वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादीगण पिता का सही नाम गोविन्दराम दुरुस्त किया जावें। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में विद्युत बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक व बतौर साक्ष्य गवाह राजेश कुमार पुत्र मदन जाति नाई का लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किया।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम के आगे पिता का नाम चिरंजीलाल अंकित है। वादी का कथन कि वादीगण के पिता का सही दस्तावेजी नाम गोविन्दराम है की पुष्टि विद्युत बिल, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक व बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये गवाह राजेश कुमार पुत्र मदन जाति नाई के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

## आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का गोविन्दपुरा स्थित भूमि खाता सं0 219 में दर्ज खातेदार कैलाश पुत्र चिरंजीलाल, शंकर पुत्र चिरंजीलाल के स्थान पर कमशः कैलाश पुत्र गोविन्दराम, शंकर पुत्र गोविन्दराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब [illegible]

निर्णय [illegible] गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर [illegible] हाकर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अ...
शंकर वगै...

वादपत्र एडमिट करने से पूर्व जॉच ...

1. क्या क्षेत्राधिकार है।
2. क्या पर्याप्त मुद्रांक पर है।
3. क्या अंकित तथ्य कार्यवाही के है...
4. क्या मियाद बाहर है।
5. क्या वाद से सम्बंधित सभी को प... गया है।
6. क्या वादपत्र में निरर्थक बाते लि...
7. क्या सी पी सी के आदेश 7 की ...
8. क्या दावे साथ नवीनतम जमाबंदी ...
9. क्या इस आशय का शपथ पत्र ... कर रहा है बाद में भूमि अथवा ...
10. क्या बटवारे के दावे में समस्त स...
11. क्या राज्य सरकार अथवा जिला ...
12. क्या दावे के प्रत्येक पेज पर प्रार्थ...
13. क्या राजस्व भूमि शहर क्षेत्र की ... बनाया है।
14. क्या वाद पंजिकृत विलेख को नि...
15. क्या भूमि का विक्रय अनुबन्ध (ag...
16. क्या वाद ऐसी भूमि से सम्बधित ... बी के अन्तर्गत संपरिवर्तन किया ...
17. क्या दर्ज किया जाना उचित है।

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो.

...कुल किता 3 कुल रकबा 0.68 है.
...सील नीमकाथाना जिला सीकर